क्रम-संख्या–201

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 578/79-वि-1–2023-1-क-21-2023

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अन्तर्देशी जलमार्ग प्राधिकारण विधेयक, 2023 जिससे परिवहन अनुभाग–4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

मॉडल शिफ्ट, लॉजिस्टिक्स नीति के साथ–साथ पोत परिवहन और नौपरिवहन में सहायता हेतु नदी किनारे समुदायों के विकास, प्रथम और अन्तिम मील संयोजकता के रूप में सुरक्षित, कुशल, विश्वसनीय तथा पर्यावरण के अनुकूल अन्तर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन के प्रयोजनार्थ अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन तथा विकास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक अधिसूचित किये जा सकेंगे और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(एक) ''अनुलग्न भूमि'' का तात्पर्य राष्ट्रीय या राज्य जलमार्ग से अनुलग्न समस्त भूमि से है, चाहे वह सीमांकित हो या न हो;

(दो) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(तीन) ''घाट'' का तात्पर्य अंतर्देशीय जल के साथ जलयान/पोत को घाट पर लगाये जाने के लिए गोदी, जैटी आदि प्रसुविधा से है;

(चार) ''कार्गो'' में जीवित व्यक्तियों के सिवाय ऐसी कोई भी वस्तु सम्मिलित है जिसका वहन जलयान में किया जा रहा हो, या किया जाने वाला हो;

(पांच) ''कार्गो जलयान'' का तात्पर्य ऐसे जलयान से है, जो यात्री जलयान नहीं है;

(छः) ''केन्द्रीय सरकार'' का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(सात) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(आठ) ''सफाई'' में जलसरणियों की झमाई, प्रशिक्षण, बंद करना, मोड़ना या परित्याग करना भी सम्मिलित है;

(नौ) ''सफाई उपाय'' का तात्पर्य सफाई के प्रयोजनों के लिए उपाय से है किन्तु इसमें बाढ़ के सापेक्ष तटों की सुरक्षा और उन तटों को प्रतिबंधित करने के उपाय सम्मिलित नहीं हैं जो मुख्यतया पोत परिवहन और नौ परिवहन से संबंधित क्षेत्रों के कारण कटावग्रस्त हो गये हों;

(दस)''नौघाट''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग के पार या उसके साथ यात्री परिवहन सेवाएं या संयुक्त रूप से यात्री और माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले जलयान से है;

(ग्यारह) ''माल'' में जीवित व्यक्तियों को छोड़कर पशुधन और जलयान द्वारा ले जाया गया कोई वस्तु सम्मिलित है;

(बारह)''अवसंरचना'' में डोक्स, गोदी, जेटी, लैंडिंग स्टेज, लॉक, बोइस, अंतर्देशीय बंदरगाह, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, सड़क और रेल अभिगम और कार्गो भण्डारण स्थल जैसी संरचनाएं सम्मिलित हैं और पद ''अवसंरचनात्मक सुविधाओं'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(तेरह) "अंतर्देशीय जल" अंतर्देशीय नौवहन के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों, नहरों, धाराओं, झीलों और अन्य नौगम्य जल निकायों को सम्मिलित करता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(चौदह) "अंतर्देशीय राज्य जलमार्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर के जलमार्ग से है;

(पन्द्रह) "जैटी" का तात्पर्य जलयान में और जलयान से यात्रियों और माल को लाने एवं ले जाने हेतु अंतर्देशीय जल में कृत्रिम ढांचा से है;

(सोलह) ''निर्माता'' का तात्पर्य जलयान या उसके किसी हिस्से या उपकरण के निर्माण में लगे हुये व्यक्ति से है;

(सत्रह) ''सदस्य'' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(अट्ठारह) ''राष्ट्रीय जलमार्ग'' का तात्पर्य राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17 सन् 2016) के अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग से है;

(उन्नीस)''नाव्य जलसरणी'' का तात्पर्य ऐसी जलसरणी से है, जो पूर्ण वर्ष भर या उसके किसी भाग के दौरान नाव्य हो;

(बीस) "यात्री" का तात्पर्य कोई व्यक्ति जो जलयान पर किसी भी सामर्थ्य से सेवारत हो या कार्यरत हो, को छोड़कर जलयान पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति से है;

(इक्कीस) ''यात्री जलयान'' का तात्पर्य किराए या परितोष पर यात्रियों को लाये जाने में प्रयुक्त किसी पोत से है;

(बाइस) ''बंदरगाह'' का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1908) में परिभाषित है;

(तेईस) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(चौबीस) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

(पच्चीस) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से हैं;

(छब्बीस) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(सत्ताईस) ''राज्य विधानमण्डल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधानमण्डल से है;

(अट्ठाइस) ''राज्य जलमार्ग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(उन्तीस) ''गोदी'' का तात्पर्य किसी जहाज/जलयान का गोदी पर लगने के लिए अंतर्देशीय जल के तट पर एक निर्माण से है;

(2) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 82 सन् 1985) और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) और तद्धीन बनाए गए केंद्रीय नियमों में प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों और पदो ंके वही अर्थ होंगे जो पूर्वोक्त अधिनियमों और नियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) उक्त प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन समनुदेशित हैं।

(3) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और अनुबंध करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

(4) प्राधिकरण में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(एक) या तो परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश या अन्तर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन तथा नौपरिवहन, बन्दरगाह, समुद्री मामले या उससे सम्बन्धित मामले में विशेष ज्ञान तथा वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ–अध्यक्ष

(दो) राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त व्यक्ति जिनके पास अंतर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन और नौपरिवहन, बंदरगाहों, समुद्री मामलों या उससे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है–उपाध्यक्ष

(तीन) वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य (पदेन);

(चार) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–सदस्य (पदेन);

(पांच) परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य (पदेन);

(छः) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–सदस्य (पदेन);

(सात) पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–सदस्य (पदेन);

(आठ) वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदस्य (पदेन);

(नौ) आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का एक प्रतिनिधि– सदस्य;

(दस) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश– मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदेन

प्राधिकरण का कार्यालय

4–(1) प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे स्थानों पर उप–कार्यालयों और जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकता है, जैसा किया जाना आवश्यक हो।

अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी)

5–(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष ऐसे कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे जो विहित किया जाय लेकिन वह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अध्यक्ष के पद का कार्यकाल (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवीकृत किया जा सकता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अग्रतर अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

अध्यक्ष (यदि किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं

6–कोई व्यक्ति अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,–

(क) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है; या

(ख) एक अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी कंपनी की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र और निष्कासन

7–(1) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष जो उनकी/उसकी राय में,–

(क) कार्य करने से इंकार कर देता है; या

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो गया है; या

(घ) अन्यथा, सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है।

(3) राज्य सरकार, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष को उनके विरूद्ध जांच होने तक निलंबित कर सकती है।

(4) हटाए जाने के मामले में, अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया है) और उपाध्यक्ष को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जब हटाने का ऐसा आदेश पारित किया गया हो, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष की सीट रिक्त घोषित की जाएगी।

(5) कोई अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, प्राधिकरण के अधीन किसी भी क्षमता में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ

8–(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित और ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य जो विहित किये गये हों, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

(2) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा विहित या उसको प्रत्यायोजित अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

प्राधिकरण की प्रशासनिक शाखाएं, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

9–(1) प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक शाखाएँ होंगी :–

(क) तकनीकी शाखा (समुद्री और समुद्री, नागरिक, यांत्रिक, जलराशि सर्वेक्षण, मानचित्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि)।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन और यातायात और रसद के साथ–साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान और विकास शाखा (आर एंड डी)।

(ग) सामान्य प्रशासन और वित्त शाखा।

(घ) कोई अन्य शाखा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा सृजित की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक शाखा के प्रमुख को निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे या तो राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विषयों में शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों में से नियुक्त किये जायेंगे या उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जा सकते हैं।

(3) राज्य सरकार परिवहन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों में से प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति करेगा जो अपर परिवहन आयुक्त स्तर का होगा। सचिव की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(6) प्राधिकरण के सचिव, निदेशक (निदेशकों) और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निधियों से आहरित किये जाएंगे।

बैठकें

10–(1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय पर होंगी जैसा अध्यक्ष निदेश दें, परन्तु प्राधिकरण की बैठकें कलैंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाय।

(3) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्तों पर कार्य करना

11–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा कारबार सिद्धांत पर कार्य करेगा।

सलाहकार समिति तथा विशेषज्ञों का पैनलीकरण

12–(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण समय–समय पर ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) किसी सलाहकार समिति में पोत परिवहन एवं नौपरिवहन और सहबद्ध पहलुओं से सम्बन्धित योग्यता और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

(3) प्राधिकरण आवश्यकतानुसार कृत्यों के दक्ष निर्वहन हेतु किसी विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को पैनलित कर सकता है ।

रिक्ति आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

13–(1) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्त है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय–तीन

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

14–(1) प्राधिकरण यह कर सकता है,–

(क) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) में राज्य सरकार से संबंधित उपबन्धों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ख) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, कार्यों या कृत्यों के निर्वहन के संबंध में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से सहयोग और समन्वय करना;

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन, अंतर्देशीय जल बंदरगाह और टर्मिनल संचालन और सेवाओं की गतिविधियों को विनियमित करना;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर, उसके पार या उसके नीचे संरचनाओं के निर्माण या परिवर्तन को विनियमित करना;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त) के वर्गीकरण के लिए मानक अधिकथित करना;

(च) नदी क्रूज संचालन के लिए पर्यटक सर्किट मार्ग तैयार करना और विनियमित करना;

(छ) सभी मशीनीकृत जहाजों और गैर–मशीनीकृत जहाजों के अंतर्देशीय जहाजों का रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण करना;

(ज) जहाजों, बंदरगाहों, टर्मिनलों, नेविगेशन और अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन गतिविधियों के लिए विहित सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(झ) अंतर्देशीय जलमार्गों और अनुलग्न भूमि में किसी भी बाधा या अड़चन को जो सुरक्षित नौपरिवहन में बाधा डाल सकती हो या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की या संरक्षण उपायों की सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती हो उस दशा में जहां ऐसी बाधा या अड़चन विधिपूर्वक की गई हो उस व्यक्ति को जिसको ऐसी बाधा के हटाने या परिवर्तन द्वारा नुकसान हो प्रतिकर देने के पश्चात, हटा सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ऐसी रुकावट या बाधा का लंबे समय तक जारी रहना या अन्यथा, ऐसे निष्कासन या परिवर्तन से क्षति से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के बाद;

(ञ) जलमार्गों के तल में या उससे कचरा फेंकने, सामग्रियों के संनिक्षेपण या वहां से उनको हटाने जैसे क्रियाकलाप को नियंत्रित करना और अपेक्षित स्वागत सुविधाएं और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करना;

(ट) उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक नदी, झील और अन्य जल निकाय के अवाह क्षेत्र का अवधारण और वर्गीकरण, अवधारित और परिभाषित अवाह क्षेत्र के भीतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण;

(ठ) पोतपरिवहन और नौपरिवहन की सुरक्षा और सुविधा और अंतर्देशीय जलमार्गों के सुधार के लिए संरक्षण उपाय करना;

(ड) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए जलराशि सर्वेक्षण और अन्वेषण करना और दिन और रात के नौपरिवहन के लिए नौपरिवहन सहायता प्रदान करने वाले नदी चार्ट प्रकाशित करना, लेकिन यह रेडियो संचार तक सीमित नहीं है;

(ढ) अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में नौपरिवहन मौसम संबंधी जानकारी का प्रसार करना;

(ण) राष्ट्रीय जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य प्रकारों से समन्वय सुनिश्चित कर सकेगा;

(त) उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर स्थित अंतर्देशीय जलमार्गों पर यान मार्गदर्शन की व्यवस्था कर सकेगा और बनाये रख सकेगा, जिनके संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया है;

(थ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जल पर्यटन, ड्रेजिंग, नदी प्रशिक्षण, तटबंध, इत्यादि की स्थापना सहित अंतर्देशीय जल में पोतपरिवहन और नौपरिवहन से सुसंगत किसी भी क्रियाकलाप को प्रदान या अनुमति देना;

(द) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के निर्माण, टर्मिनलों तक/से लोडिंग और अनलोडिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग मार्गों पर जलयान से जलयान पोतांतरण को विनियमित करना;

(ध) उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मशीनीकृत और गैर–मशीनीकृत अंतर्देशीय जहाजों के लिए यात्री किराए और माल भाड़े के लिए अधिकतम दरें नियत करने की शक्ति;

(न) पोंटून पुलों का विनियमन;

(प) अंतर्देशीय जल यातायात डेटा का विश्लेषण करना और उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात मांग के लिए अनुमान लगाना और जलयान/कार्गो/फेरी संचालकों को उनकी विस्तार योजनाएँ तैयार करने में सहायता करना;

(फ) जल परिवहन और पर्यटन, और पोतपरिवहन और नौपरिवहन से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुसंधान में संचालन और लगाया जाना;

(ब) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सेवा प्रदाता, अंतर्देशीय जलयान मालिकों और चालक दल, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण के प्रयोजन से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के साथ–साथ भारत के भीतर और बाहर तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करना;

(भ) अंतर्देशीय जलमार्ग, जल परिवहन और पर्यटन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(म) राज्य सरकार द्वारा इसे समनुदेशित अन्य संबंधित कार्य करना;

(य) इसके समुचित कामकाज के लिए विनियम और विस्तृत मार्गदर्शन तैयार करना और कार्यकारी निर्देश जारी करना;

(कक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित समस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(2) उप–धारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण कर सकता है–

(क) पर्यावरणीय, आर्थिक, सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन योजनाओं को अनुमोदित करना और कार्यान्वित करना;

(ख) राज्य सरकार को इस अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करेगा;

(ग) उपभोक्ताओं और व्यापार के लाभ के लिए मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना;

(घ) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी भागीदारी और आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करना;

(ङ) इस अधिनियम के लिए आनुषंगिक किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(च) राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किसी भी अन्य कृत्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी का निष्पादन;

(छ) अंतर्देशीय जल परिवहन संचालकों, नौका सेवा प्रदाताओं, अंतर्देशीय जल यातायात सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानक अधिकथित करना; और

(ज) सेवा की निरंतरता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित प्रदर्शन मानकों की अनुश्रवण एवं लागू करना।

(3) उपधारा (1) के खंड (प) में निर्दिष्ट मुआवजे से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि के मामले में इसी तरह के विवादों से संबंधित कानून के अनुसार किया जाएगा।

प्राधिकरण को सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी

15–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात–

(एक) लोगों को समन करना एवं हाजिर कराना और उन्हें शपथ के साथ मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(दो) दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की आवश्यकता;

(तीन) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(चार) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अपेक्षा करना।

पारदर्शिता और सुशासन

16–प्राधिकरण समस्त हितधारकों के साथ सम्यक परामर्श करके और अपने समस्त विनिश्चयों को सार्वजनिक सूचना के लिए पूर्ण रूप से प्रलेखित और उपलब्ध कराकर इस अधिनियम के अधीन प्रतिस्थापित शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सुशासन, पारदर्शिता और औचित्य को सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–4

संपत्ति और अनुबंध

राज्य सरकार की आस्तियों और देनदारियों का प्राधिकरण को हस्तांतरण

17–(1) ऐसे दिन से, जिसे राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है–

(क) ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निहित अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन से संबंधित या सम्बद्ध समस्त संपत्तियां और अन्य संपत्तियां, प्राधिकरण में निहित होंगी;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले समस्त उपगत ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए समस्त अनुबंध और किए जाने वाले समस्त मामले और चीजें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए किया गया और किया जाने वाला माना जायेगा;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस दिन तक उपगत किए गए समस्त गैर–आवर्ती व्यय और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय घोषित किए जाने पर, ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी के रूप में माना जाएगा;

(घ) ऐसे दिन से ठीक पहले अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के संबंध में राज्य सरकार को देय समस्त धनराशि प्राधिकरण को देय समझी जाएगी;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के सम्बन्ध में किसी भी मामले के संबंध में समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों जो राज्य सरकार द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई हैं और लंबित हैं, या जो इस तरह से संस्थित किया जा सकता था, ऐसी तारीख से ठीक पहले, ऐसी तारीख को और उसके बाद प्राधिकरण द्वारा या उसके विरूद्ध जारी रखा जाएगा या संस्थित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने या सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर्मचारियों या संविदा कर्मचारियों को स्वयं के स्वामित्व पर नियुक्त करने की शक्ति होगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण के साथ ऐसे किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में राज्य सरकार या संबंधित विभाग को उसके अवकाश वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए ऐसा योगदान देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे, अपनी नियिमत सेवा में शामिल करने के प्राधिकरण के प्रस्ताव के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित किया हो, कि वह नियमित कर्मचारी बनने का अपना आशय रखता है, प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित सेवा में समाहित कर लिया जाएगा।

(3) यदि कोई विवाद या संदेह उठता है कि राज्य सरकार की कौन सी संपत्ति, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अंतरित कर दी गई हैं या राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से किसे इस धारा के अधीन प्राधिकरण के साथ प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, ऐसे विवाद या संदेह का निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य कानून के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, इस धारा के अधीन, प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर्मचारी को अपनी नियमित सेवा में समावेशित करने से ऐसा कर्मचारी उस अधिनियम या अन्य कानून के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा संविदाएँ

18–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और पालन करने के लिए सक्षम होगा।

प्राधिकरण की ओर से संविदाओं को निष्पादित करने की रीति

19–(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त सामान्यतया या विशेष रूप से सशक्त हों और विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे संविदाओं या संविदाओं की श्रेणी प्राधिकरण की सामान्य मुहर के साथ मुहरबंद की जाएगी:

परन्तु ऐसे मूल्य या रकम से अधिक का कोई अनुबंध नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा इस निमित्त तय कर सकती है, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे पूर्व में अनुमोदित न किया गया हो;

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए कोई संविदा या तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी संपत्ति का पट्टा तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय–समय पर आदेश द्वारा ऐसे मूल्य या रकम से अधिक की कोई अन्य संविदा निश्चित नहीं होगी जब तक इसे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित नहीं किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कोई संविदा करने की प्ररूप और रीति ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन विनियमों के अनुसार नहीं है, वह प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

अध्याय–5

वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण

20–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पोत परिवहन, नौचालन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए ऐसी दरों पर फीस और प्रभार का उद्ग्रहण कर सकता है, इसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं और जहाजों की ठहरने से संबंधित जलयानों को घाट पर लगाने से संबंधित सुविधाएं, स्थोरा की उठाई–धराई और स्थोरा का भण्डारण शामिल है।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीस और प्रभार ऐसी रीति से संगृहीत किये जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किये जाएं।

21–राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और ऋण दे सकेगी, जो आवश्यक समझे। राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

22–प्राधिकरण, ऐसी रीति से और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है या बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखितों को निर्गमित करके किसी स्रोत से धन उधार ले सकता है जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए उचित समझे। प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां

23–(1) ''उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि'' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे– निधि का गठन

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और प्रभार;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी विशिष्ट परियोजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियाँ, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(2) निधि को निर्वहन के लिए उपयोजित किया जाएगा –

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्यय;

(ग) अपने मुख्य कार्यालय और अन्य उप–कार्यालयों की स्थापना में प्राधिकरण के खर्च, या तो नए निर्माण के माध्यम से या किराए पर लेने के माध्यम से।

24–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। बजट

25–प्राधिकरण अपनी निधियों (किसी भी आरक्षित निधि सहित) का विनिधान राज्य और केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, कर सकेगा। निधियों का विनिधान

26–प्राधिकरण के बैंकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) के अर्थ में कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए। प्राधिकरण के बैंकर्स

27–प्राधिकरण के खातों का रख–रखाव और लेखा–परीक्षा उस रीति से की जाएगी जो उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और प्राधिकरण अपनी लेखापरीक्षित प्रति और उसके आधार पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसी तिथि से पहले जो विहित की जाय, ऐसी राज्य सरकार को देगा। लेखा और लेखापरीक्षा

28–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। वार्षिक रिपोर्ट

29–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना

अध्याय–6

विविध

30–(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर उसे लिखित रूप में देः राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य जहाँ तक हो सके अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं अंतिम होगा।

प्राधिकरण के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन

31–प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और ऐसी भूमि का प्राधिकरण के लिए अर्जन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

कुछ विधियों का लागू होना आदि

32–(1) इस अधिनियम के उपबंध भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और विशेष रूप से इस अधिनियम में कुछ भी भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन किसी भी बंदरगाह के संरक्षक या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग, निष्पादित या निर्वहन के लिए आवश्यक किसी भी क्षेत्राधिकार, कार्यों, शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी भी प्रमुख बंदरगाह के लिए न्यासी बोर्ड या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, ऐसे बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह की सीमा के भीतर आने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सहित) के किसी भी हिस्से के संबंध में।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 24) या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अलावा और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) या किसी भी राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौचालन के संबंध में इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले प्रवृत्त कोई राज्य अधिनियम, संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

33–इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तब सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और–

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन अथवा जांच कर सकेगा ;

(ख) तल मापन कर सकेगा ;

(ग) अवमृदा की खुदाई या वेधन कर सकेगा ;

(घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन कर सकेगा ;

(ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां काट कर ऐसी तल सीमाओं और रेखाओं को चिंह्नित कर सकेगा ; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास–गृह से संलग्न किसी परिवृत्त आंगन या उद्यान में प्रवेश (जब तक कि वह प्रवेश उसके अधिभोगी की सम्पत्ति से न हो) ऐसे अधिभोगी को पहले, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घंटों की लिखित सूचना देकर ही करेगा।

प्रत्यायोजन

34–प्राधिकरण लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

35–प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

36–प्राधिकरण के समस्त सदस्यों, अधिकारियों, और अन्य कर्मचारियों, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं, उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाई के लिए संरक्षण

37–(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी और विशेषतया प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वह ऐसे अनुतोष उपायों के लिए उपबंध करे जो बाढ़ या संक्रमों के टूट जाने और पूरा न होने के कारण आवश्यक हो गए हैं।

राज्य सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति

38–(1) यदि, किसी समय राज्य सरकार की यह राय हो कि–

(क) गंभीर आपात के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में बार–बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या किसी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की इतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में वर्णित कारणों से इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार, प्राधिकरण को यह कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर ;

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने के दिनांक से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार निदेश देगी;

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति जब तक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है राज्य सरकार में निहित होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण काल की समाप्ति पर, राज्य सरकार–

(क) अधिक्रमण काल को अधिक से अधिक छह मास तक की इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा इस उपधारा के अधीन बढ़ाई गई अधिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

नियम बनाने की शक्ति

39–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष और सचिव के निबंधन और शर्तें;

(ग) इस अधिनियम में संदर्भित सलाहकार समिति और विषय विशेषज्ञों के पैनलीकरण से संबंधित मामले;

(घ) वह प्रपत्र जिसमें, और जिस समय, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपना बजट और इस अधिनियम के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(ङ) वह रीति जिसमें प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने निधि का विनिधान कर सकता है;

(च) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के खातों को बनाए रखने और सम्परीक्षा किये जाने की रीति;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बंधन; और

(ज) कोई अन्य मामला जो ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

40–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जो प्राधिकरण की सामान्य मुहर से प्रमाणित की जानी है और वह रीति और प्रारूप जिसमें प्राधिकरण द्वारा संविदा की जा सकेगी ;

(घ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अध्यधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई कृत्य किए जा सकेंगे ;

(ङ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर पथ के नियम;

(च) अवसंरचनाओं और अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का सुरक्षित, दक्षतापूर्ण और सुविधाजनक उपयोग, प्रबंध और नियंत्रण;

(छ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर लाए गए माल का ग्रहण, भंडारण और निष्कासन और माल का प्रभार लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो लैंडिंग से पहले क्षतिग्रस्त हो सकती है या कथित तौर पर इतनी क्षतिग्रस्त हो सकती है;

(ज) ऐसे डॉकों, घाटों, जेट्टियों और उतराई मंचों को जिन पर माल जलयानों से उतारा जाएगा और जलयानों के फलक पर लादा जाएगा, को विनियमित करना, घोषित करना और परिभाषित करना;

(झ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन अन्तर्देशीय जल मार्ग पर, जलयानों पर माल लादा और उनसे उतारा जाएगा, को विनियमित करना; और

(ञ) उपद्रवियों या अन्य अवांछनीय व्यक्तियों तथा अतिचारियों को राष्ट्रीय जलमार्ग से हटाना;

(ट) बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखतों को जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें;

(ठ) अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उसकी गणपूर्ति भी सम्मिलित है।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ञ) तक के अधीन बनाए गए किसी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

नियमों और विनियमों का राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना

41–इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

42–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान वैश्विक पटल पर अधिकांश राष्ट्र डी–कार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक सतर्कतापूर्वक कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के तीव्र ह्रास, ईंधन के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि और यानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर्यटन के साधन के दृष्टिगत अपेक्षाकृत सस्ता एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन के रूप में जलमार्ग का अंगीकरण आवश्यक हो गया है।

उत्तर प्रदेश विभिन्न पवित्र नदियों एवं प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त स्थलों से समृद्ध राज्य है। राज्य के प्रमुख नदियों जैसे–गंगा, यमुना, सरयू इत्यादि में वर्षपर्यंत जल का निरन्तर प्रवाह बना रहता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17, सन् 2016) के अधीन 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–1 (प्रयागराज से हल्दिया तक) के अतिरिक्त, दस अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित किए जाने के क्रम में राज्य स्तर पर अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक हो गया है। इस प्राधिकरण के गठन से, राज्य के भीतर जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन तथा नौ परिवहन में विकास, विनियमन एवं पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करते हुए राज्य में एक पृथक प्रशासनिक इकाई स्थापित हो जायेगी, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास हेतु तीव्र एवं समयबद्ध कार्यवाही सम्भव बनाएगी। जलमार्गों के विकास के माध्यम से उक्त प्राधिकरण का गठन नदियों की संवृद्धि एवं संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा। जलमार्गों के विकास से जल पर्यटन के दृष्टिगत नदियों के किनारे अवस्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल भी विकसित होंगे। जल परिवहन एवं जल पर्यटन में विकास तथा विस्तार से बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे।

उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

अतुल श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

———————

No. 587(2)/LXXIX-V-1–2023-1-ka-21-2023

Dated Lucknow, December 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Antardeshiy Jalmarg Pradhikaran Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 7, 2023. The Parivahan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY ACT, 2023

(U.P. ACT NO. 22 OF 2023)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to provide for the constitution of an Inland Waterways Authority in the State of Uttar Pradesh for the regulation and development of Inland Waterways for the purposes of safe, efficient, reliable and environment friendly inland water transport and tourism by way of river side communities' development, first and last mile connectivity to help modal shift, logistics policy as well as shipping and navigation, and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent, and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint: